मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 10.02.2026

शादी के नाम पर अवैध रूप से धन उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 06 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार उनके कब्जे से ₹ 30,000/- बरामद-

थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर पर वादिनी मीरा देवी पत्नी अखिलेश शर्मा निवासिनी ग्राम ट्रास जमुना कालोनी, फ्रंस-2 जी 6-80 रामबाग, एत्मादद्दौला जनपद आगरा द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध शादी हेतु रिश्ते का झासा देकर अवैध रूप से धन की उगाही करने के सम्बन्ध लिखित तहरीर दी गयी। उक्त प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजगढ़ पर मु0अ0सं0- 24/2026 धारा 3(5),316(2),318(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

"अपर्णा रजत कौशिक" पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु थाना प्रभारी राजगढ़ को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.02.2026 को जरिये मुखबिर के सूचना के आधार पर थाना राजगढ़ क्षेत्र से घटना उपरोक्त से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों 1. जितेन्द्र पुत्र राममुरत निवासी दाउदपुर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली, 2. रामविलाश पुत्र राजकुमार निवासी सवैया पट्टीदारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली, 3. महिमा पत्नी जितेन्द्र निवासी दाउदपुर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली, 4. रीता पत्नी राजू निवासी लालपुर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर, 5. जिऊती पत्नी संजय निवासी चौखड़ा (भागलपुर) थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर व 6. मनीषा पुत्री मगरू निवासी भवानीपुर थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से अवैध अवैध उगाही की धनराशि 30,000 रूपये बरामद कर उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायाल भेजा गया।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनका एक संगठित गिरोह है जिसका मुखिया अजीत उपरोक्त है हम लोगों द्वारा फर्जी दुल्हन बनाकर व दुल्हन के रिस्तेदार-नातेदार बनकर शादी का झांसा देकर जरुरत मंद लोगो से ठगी करते है। इस प्रकार प्राप्त धन को आपस में बाट कर भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता —

1. जितेन्द्र पुत्र राममुरत निवासी दाउदपुर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।
2. रामविलाश पुत्र राजकुमार निवासी सवैया पट्टीदारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।
3. महिमा पत्नी जितेन्द्र निवासी दाउदपुर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

4. रीता पत्नी राजू निवासी लालपुर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।
5. जिऊती पत्नी संजय निवासी चौखड़ा (भागलपुर) थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।
6. मनीषा पुत्री मगरू निवासी भवानीपुर थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।

पंजीकृत अभियोग-

1 मु0अ0सं0- 24/2026 धारा 3(5),316(2),318(4) बीएनएस, थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।

बरामदगी विवरण-

वासुली का ₹ 30,000/- बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

उप निरीक्षक पुरन्जय चौबे व उप निरीक्षक अनिल सिंह मय पुलिस टीम थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।

****